प्रधान महालेखाकारों (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

OFFICES OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

स.प्र.म.ले/कल्याण/खेलखूद नीति/2024-25/
No. PAG/Welf/Sports Policy/2024-25
दिनांक /Dated:30/07/2024

परिपत्र सं. 33 /Circular No.33

विषय:- नवनियुक्त खेल कोटा खिलाड़ियों के लिए खेल नीति

Sub:-Sports Policy for Newly recruited sports quota players

इस वर्ष हमारे विभाग में पांच खेलों अर्थात टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती की जा रही है। उपरोक्त नवनियुक्त खेल कोटा खिलाड़ियों के लिए मुख्यालय द्वारा दिनांक 12/07/2024 के पत्र सं. 1042/33/कल्याण/विविध पत्राचार/2022 के अनुसार निम्नानुसार खेल नीति जारी की गई है:

Meritorious sports persons are being recruited this year in our department in five disciplines, viz., Table Tennis, Badminton, Football, Cricket & Hockey. The sports policy for the above newly recruited sports quota players have been issued by headquarters vide Lr.No.1042/33/Welfare/Misc.Correspondence/2022 dated 12/07/2024 as below:

1. सभी खेलों में नवनियुक्त खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए तथा टूर्नामेंट के लिए फिटनेस/फॉर्म बनाए रखने के लिए प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से अपने कर्तव्यों से मुक्त किया जाए ।

   The newly recruited players in all the disciplines may be relieved of their duties from 2.00 pm onwards daily for practice and to maintain fitness/form for the tournament.

2. खेल कोटे के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ी किसी भी राज्य से खेल सकते हैं। अपनी राज्य/राष्ट्रीय रैंकिंग बनाए रखने के लिए, इन खिलाड़ियों को राज्य/राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेना आवश्यक है। इसलिए सभी नए भर्ती किए गए खिलाड़ियों को किसी भी राज्य/राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाए ।

   The players recruited under the sports quota can play from any State. To maintain their State/National ranking, these players are required to participate in the State/National Ranking Tournaments. So all the newly recruited players may be permitted to take part in any State/National Ranking tournaments.

3. किसी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में भाग लेने के लिए अनुपस्थिति की अवधि को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16/07/1985 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 07/01/1988 के कार्यालय ज्ञापन (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व) के अनुसार ' ड्यूटी पर ' माना जाए और स्थानीय महत्व (राज्य स्तर) की प्रतियोगिताओं के मामले में विशेष आकस्मिक अवकाश (एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन) द्वारा नियमित किया जाए।

   The period of absence for participation in any National Level Tournaments as player may be treated as ‘On duty’ with respect to DoPTs’ OM dated 16/07/1985 and OM

File No. No.AG/Welf/SportsPolicy/Vol.II/2023-24 (Computer No. 171065)
Generated from eOffice by ANU GOPI B, AGB, AUDITOR, AG-(AUDIT-I)-KERALA on 30/07/2024 02:27 PM

dated 07/01/1988 (National/International importance) and regularized by Special casual leave (maximum 30 days in a calendar year) in case of tournaments of local importance (State level).

(प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के दिनांक 25/072024 के आदेशानुसार)
(Vide orders of Principal Accountant General (Audit) dated 25/072024)

कल्याण अधिकारी (ले.प)
Welfare Officer (Audit)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. सभी समूह अधिकारी /All Group Officers
2. प्र म ले के सचिव (लेखापरीक्षा I, II और लेखा एवं हकदारी) /Secretaries to PAG (Audit I, II & A&E)
3. प्र म ले के निजी सचिव (लेखा परीक्षा I, II और लेखा एवं हकदारी)/PS to PAG (Audit I, II & A&E)
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/कल्याण (लेखा एवं हकदारी)/Sr.Accounts Officer/Welfare (A&E)
5. सभी शाखा अधिकारी/All Branch Officers
6. महासचिव (महालेखाकार का कार्यालय मनोरंजन क्लब)/ The General Secretary (AGORC)
7. सभी अनुभाग /All sections
8. सूचना पट्ट /Notice Boards.